



Memo No. : DSPMU/DSW/190/23

Date: 01/03/2023

सूचना

4 मार्च 2023 को छात्रों द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश :-

1. प्रवेश केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास विश्वविद्यालय का वैध परिचय पत्र होगा।
2. निर्धारित अवधि (10 बजे से 11.30 बजे तक) के पश्चात किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा।
3. मादक द्रव्य का सेवन वर्जित है अतः वैसे किसी भी व्यक्ति को जिसने मादक द्रव्य का सेवन किया हो, प्रवेश नहीं मिलेगा।
4. यदि किसी को मादक द्रव्य का सेवन किये हुए पाया जायेगा तो उसे विश्वविद्यालय परिसर से बाहर कर दिया जायेगा एवं उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
5. अश्लील एवं अशोभनीय गानों का प्रयोग सर्वथा वर्जित रहेगा।
6. छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी जिसका हर हाल में पालन अनिवार्य है।
7. कार्यक्रम का समापन किसी भी परिस्थिति में 02.00 बजे करना अनिवार्य है।


1.3.2023

(एस0 एम0 अब्बास)

छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष
डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय,
राँची